



सिर्फ 10 दिन में फिर से 5 लाख तक का फायदा

FIXED
PRICENO MIDDLE-MEN
DIRECT TO
CUSTOMER

KEDIA
सेजस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT

— अजमेर रोड, जयपुर —

2 साइड ओपन कोठी और फ्लैट्स | 60 एमेनिटीज

PROPOSED FIXED RATE & RENTAL **1.5 लाख**

बड़ी-बड़ी कोठी बड़े-बड़े फ्लैट	अगस्त की रेट	सितम्बर की रेट	अक्टूबर की रेट	नवम्बर की रेट	दिसम्बर की रेट	जनवरी की रेट	पजेशन की रेट	POSSESSION DEC. 2025	
युनिट टाइप	साइज							पजेशन के बाद रेटल	
2 BHK (GF) अपार्टमेंट	1350 Sq Ft	45 L	47.25 L	49.50 L	51.75 L	54 L	56.25 L	67.50 L	22,000
3 BHK (SF) अपार्टमेंट	1900 Sq Ft	50 L	52.50 L	55 L	57.5 L	60 L	62.50 L	75 L	25,000
3 BHK (FF) अपार्टमेंट	1900 Sq Ft	55 L	57.75 L	60.5 L	63.25 L	66 L	68.75 L	82.50 L	28,000
3 BHK BIG कोठी	2000 Sq Ft	60 L	63.00 L	66 L	69 L	72 L	75 L	90 L	30,000
4 BHK BIGGER कोठी	2325 Sq Ft	70 L	73.50 L	77 L	80.50 L	84 L	87.50 L	105 L	40,000
4 BHK BIGGEST कोठी	3200 Sq Ft	100 L	105 L	110 L	115 L	120 L	125 L	150 L	50,000





अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 28 संख्या: 52

प्रभात

अजमेर, बुधवार 20 सितम्बर, 2023

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

क्या महिला आरक्षण राजनीति से चुनावों में लाभ होगा भाजपा को

चुनावी विश्लेषकों की मानें तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है

—श्रीनन्द झा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि महिला आरक्षण राजनीति आगामी विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के पक्ष में अपना असर दिखायेगा। हिमाचल प्रदेश के कार्नाटक में चुनावी हार के बाद वानांनंदर मोदी की लोकसभा में विधायिका में आ रही कमी को लेकर बन रही धारणा से चिंतित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न प्रकार से जननात परवर्ती की लोकशिका कर रहा है—उदाहरण के लिये, भारत बनाम इंडिया बहस छेड़ना तथा समान अमेरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा उठाना आदि। ऐसे प्रतीत होता है कि 2024 के चुनावों से सात महां पूर्व, महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने की निर्णय से आगामी अनुचित लाभ लेने की कोशिश है।

जहां इस विधेयक को पेश किये जाने के निर्णय की भाजपा सरकार की पूरी योजना अगले चार दिनों में उड़ागर हो जाए की तर्मी है, वहां इस समय

- सूत्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्र.मंत्री मोदी की लोकप्रियता के लिए ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा नित नए शाफूके छोड़ रही है, जैसे भारत बनाम इंडिया आदि।
- एक सवाल यह भी है कि, क्या मोदी सरकार पूरी तैयारी के बिना ही वाहवाही लूटने के लिए बिल ले आई है।
- क्योंकि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, तब ही दिया जा सकता है जब पहले जनगणना हो, जो 2026 में होनी है और फिर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो।
- हालांकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत व राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन के आधार पर सरकार यह बिल पारित करवा लेगी पर इसका क्रियान्वयन चार साल बाद ही हो सकेगा।

कई प्रश्न भी पैदा हो रहे हैं। यह विधेयक रिबन काटे जाने का आरोप नहीं लगेगा? मोदी सरकार के अंतिम वर्ष में ही क्यों लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया गया है? कोटा के अंदर कोटा विधेयक का यथार्थतः पारित होना के सिद्धांत के ढाँचे के अन्तर्गत, जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने (2026 में) के बाद में संभव हो सकता। जनगणना को पारित होना के बाद ही चुनाव क्षेत्रों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि, क्या परिसीमन का कार्य सम्पन्न होगा। मोदी सरकार पर समय से काफी पहले लोकसभा में भाजपा का जबरदस्त

बहुमत होने तथा राज्यसभा में भी पर्याप्त संख्यावल होने से ऐसी संभावना है कि, सरकार सासद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में बाहर आया जायेगा। लोकन यदि यह चार साल या इससे भी अधिक समय बाद ही लागू हो पाएगा, तो इस मुद्दे से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पायेगा।

सच. रामानुज शर्मा 32 साल पहले, आई.जी. (जेल) के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के दिन उन्हें 17 साल पूराने मामले में चाजशीट देकर पेंशन परिलाभ रोक दिए गए थे। हाइकोर्ट में 24 साल चले इस केस में अंततः सच. शर्मा के सभी पेंशन परिलाभ मय ब्याज लौटाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस अनुप ठंडने ने यह अदेश रामानुज शर्मा के उत्तराधिकारी राम मधुकर शर्मा व अन्य की आधिकारी पर दिए। याचिकाकाती की ओर से अदालत के बाताया गया कि, रामानुज शर्मा तीस जून, 1991 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 17 साल पूर्ने एक मामले में 29 जून, 1991 को चाजशीट दी गई। जिससे उनके पेंशन परिलाभ रुक गए। बहाने, जून 1999 को लंबित मामले में दो साल तक उनके पेंशन में से पांच मीलसदी राश कानूनी सजा दी गई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त समर्थन देंगे’

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (बाताया)। कांग्रेस के लिए चुनावी हो रही है और सरकार इस विधेयक को लेकर आती है, तो पार्टी

- कांग्रेस के प्रवक्ता ने नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया।
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी.पी. चिंदंबरम ने कहा कि, यह विधेयक कांग्रेस व यू.पी.ए. सरकार के सहयोगी दलों की जीत है। ज्ञातव्य है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।
- कांग्रेस यह दावा करने में कोई कोर कर कर सर नहीं छोड़ रही है कि, यह बिल “हमारा” है।

पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर को ब्रेय देने के मामले से सदैव कतराते प्रधानमंत्री मोदी सासदों को नये भवन हैं, ने शैशी बधारते हुये, इस कदम को में ले गये, जहां उन्होंने कहा, “ईश्वर ने देश के लोकप्रिय विद्वानों का मीला पार करते वर्ताया, जबकि तथ्य यह है कि, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शक्ति के लिये दरवाजे खोले।” इतिहास लिखिंगो— अइयो! नारी शक्ति वन्दन के लिये चुनाव हो जाए। आज जनगणना के बाद ही चुनाव क्षेत्रों में दूसरी वर्ष विधेयक को पारित करने की योजना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, “ईश्वर ने मुझे पवित्र कार्यों के लिये चुना है।”

—डॉ. सतीश मिश्रा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

